



Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध
सेवा में,

ई-मेल

- 1 सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज महिला, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हरियाणा राज्य में।
- 2 सभी प्रधानाचार्य/इन्चार्ज, प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा राज्य में।

यादि क्रमांक: टी-1/मिसलेनियस/समय परिवर्तन/2014-15/ 12734
दिनांक: 25/11/16

विषय:— संस्थानों के समय में बदलाव करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

निदेशालय के पत्र क्रमांक टीएस-1/कार्य समय/25721 दिनांक 03.12.2002 द्वारा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण समय बदलने बारे जारी किये गये आदेशों को रद्द करते हुए मास दिसम्बर/जनवरी के दौरान अत्याधिक धुंध होने व सूर्य जल्दी अस्त होने के मध्यनजर विभाग के अधीन चल रहे सभी राजकीय/प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 27 दिसम्बर से 20 जनवरी तक संस्थानों का समय बिना अर्ध अवकाश के प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि प्रशिक्षण अवधि की कटौती को प्रधानाचार्य अपने स्तर पर पूर्ण करवाएं। आदेशों की दृढता से पालना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।

- पृ० क्रमांक टी-1/मिसलेनियस/समय परिवर्तन/2014-15/ दिनांक
- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
1. सभी अधिकारी मुख्यालय पर (सिवाय निदेशक)।
 2. नोडल अधिकारी वैबसाईट। विभागीय वैबसाईट पर डालने हेतु।
 3. पी.एस./आई.टी.एम.।
 4. पी.एस./प्रधान सचिव, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा।
 5. सभी अनुभागों के मुखिया (मुख्यालय पर)।
 6. पी.ए./निदेशक।

संयुक्त निदेशक (तकनीकी)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग,
हरियाणा।